उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No 1145/22 सी-6/ओ.ए.नं. 806/2019/आख्या/2020 Dated 6/1/20

To,

The Registrar,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Submission of Compliance report in O.A. no. 806/2019 in the matter of Anurag Sharama Vs. State of Uttar Pradesh:

Sir,

In compliance to the order dated 20.09.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 806/2019 in the matter of Anurag Sharma Vs. State of Uttar Pradesh the compliance report is enclosed herewith with annexures.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely,

(Dr. B.B. Awasthi)
Chief Environment Officer
(Circle-6)

Enclosures: As above

Copy to:

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida District-GB Nagar, 201301 for information and further necessary action.

Chief Environment Officer
(Circle-6)

Compliance report of order dated 20.09.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 806/2019 Anurag Sharma Vs. State of Uttar Pradesh

The relevant portion of the Hon'ble NGT, New Delhi order in OA no. 806/2019 dated 20.09.2019 is as follows:-

"............Let the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in. ...."

1. That in compliance of order dated 20.09.2019 Regional Officer, UP Pollution Control Board, Azamgarh inspected the said unit M/s Malik Beverage, Malik Tola, Sagdi, Azamgarh dated 01.01.2020. Copy of the said inspection report is **annexed as annexure-01.**

2. That the inspection report clearly indicates, the said unit has obtained NOC from UPPCB dated 20.12.2017. Copy of the said NOC is **annexed as annexure-02.**

3. That during the inspection carried out by the UPPCB, the unit was found under operation. The unit has not obtained a valid consent to operate from the UPPCB. The unit has also not installed the treatment facility of reject/effluent generated from Reverse Osmosis plant. The quantity of reject/effluent is approx 04 KL. The unit has not obtained the NOC from CGWA for abstraction of ground water.

4. It is clearly indicates that the unit is violating the specific conditions no.-1 & 2 mentioned in the NOC issued by UPPCB.

5. That on the basis of the inspection report of UPPCB, Regional Office, Azamgarh and the violation of NOC conditions a show cause notice has been issued u/s 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against industry M/s Malik Beverage, Malik Tola, Sagdi, Azamgarh dated 06.01.2020. Copy of the said letter is **annexed as annexure-03.**

EE
C-6

डा0 बी0 बी0 अवस्थी
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

Annexure - 1

तार पर्यावरण
Gram : Paryavaran

क्षेत्रीय कार्यालय

" प्रदूषण रोकिए पर्यावरण बचाईए"
फोन – (05462)–247517
फैक्स – (05462)–247517

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आजमगढ़

REGIONAL OFFICE

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

AZAMGARH - 276001

संदर्भ सं0 2157/मलिक बेवरेज 4/12/2019-2020
Ref. No.

दिनांक : 01-01-20
Date ~~समयबद्ध~~......
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

गुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय– मेसर्स मलिक वेरवेज, मलिक टोला, सगड़ी, आजमगढ़ की निरीक्षण आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एच 44893/सी–6/सा0 शि0/5ए/आजमगढ़/19 दिनांक 12.12.2019, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 सं0–806/2019 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है–

Let the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by-email at judicial-ngt@gov.in.

उक्त के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण कार्यालय के श्री ओ0एच0 सिद्दीकी, वैज्ञानिक सहायक द्वारा दिनांक 01.01.2020 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। संलग्न आख्यानुसार उद्योग को स्थापना से पूर्व राज्य बोर्ड के आनलाइन पत्रांक 4203/UPPCB/ Azamgarh (UPPCBRO)/ CTE/air/ AZAMGARH/ 2017 दिनांक 20.12.2017 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु उद्योग द्वारा न तो अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखि शर्तो का अनुपालन किया गया है और न ही संचालन हेतु राज्य बोर्ड से आवश्यक सहमति (जल/वायु) प्राप्त किया गया है। राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) किये बिना उद्योग का संचालन किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये संदर्भित उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : जयरामपुर मऊ रोड, आजमगढ़ - 276001

मेसर्स मलिक वेरवेज, मलिक टोला, सगड़ी, आजमगढ़ की निरीक्षण आख्या

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एच 44893/सी–6/सा0 शि0/5ए/आजमगढ़/19 दिनांक 12.12.2019, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 सं0–806/2019 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), लखनऊ से प्राप्त निर्देश दिनांक 31.12.2019 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संदर्भित उद्योग का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 01.01.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री मलिक हैदर रजा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत आख्या निम्नवत् है–

1. प्रश्नगत उद्योग एक आर.ओ प्लांट है, जो मलिक टोला, सगड़ी, आजमगढ़ के अराजी सं0–86 पर स्थापित/कार्यरत है। आर.ओ. प्लांट की क्षमता 20000 लीटर प्रतिदिन है। उद्योग में उत्पादन कार्य माह मई, 2019 से प्रारम्भ किया गया है।
2. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार उद्योग को स्थापना से पूर्व राज्य बोर्ड के आनलाइन पत्रांक 4203/UPPCB/ Azamgarh (UPPCBRO)/ CTE/air/ AZAMGARH/ 2017 दिनांक 20.12.2017 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। उद्योग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में निहित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
3. उद्योग द्वारा बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किए बिना उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया है।
4. आर0ओ0 प्लांट से प्राप्त लगभग 4000 लीटर प्रतिदिन रिजेक्ट वाटर हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण व्यवस्था नही है।
5. भूगर्भ जल दोहन हेतु केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है।
6. उद्योग में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 30 के0वी0ए0 क्षमता को एक अदद डी0जी0 सेट कैनोपीयुक्त स्थापित है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33 ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

1/1/2020

(ओ0एच0 सिद्दीकी)
वैज्ञा0 सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

01-01-2020

Annexure-2

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Validity Period :20/12/2017 To 20/12/2019

Dated:- 20/12/2017

Ref.No.:-
4203/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTE/air/AZAMGARH/2017

To ,

M/S Malik Haidar Raza
M/s Malik Beverages
Malik Tola, Sagari, Azamgarh
AZAMGARH

Sub : **Consent to Establish (CTE) for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and Control of Polution) Act, 1981 as amended.**

Please refer to your application form no 202871 dated - 06/12/2017 .After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates :

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	**Raw Material Unit Name**	**Raw Material Quantity**
Water	Metric Tonnes/Month	600

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	**Product Quantity**
Packaged Drinking Water	500

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	**Unit Name**	**Licence Product Capacity**	**Install Product Capacity**
No	Metric Tonnes/Day	0	0

E: Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	500	**Quantity (KL/D)**
Ground Water (within premises)	Borewell	24.0

F. Quantity of effluent (In KLD) :

Effluent Details	
Source Consumption	**Quantity (KL/D)**
Industrial	4.0

G- Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	**Consumption(tpd/kld)**	**Use**
Diesel	0.018	Oprete 30 KVA D.G. Set

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding cQnstruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 20/12/2019 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution)Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application,complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981 may be initiated against the industry With out any prior information,in case of non compliance of above conditions.
7. Bank details.

Bank Fee Details				
Bank Name	**Branch Name**	**Draft No./Money Receipt No**	**Date**	**Rupees**
Union Bank of India	Sagri	020048	06/12/2017	3000.0

Specific Conditions:

1- The Unit shall submit the land use certificate of Gata No-86, Malik Tola, Sagari, Azamgarh obtained from competent authority, Azamgarh within three month.
2- The unit shall submit N.O.C. for borewell obtained from CGWA whithin two month.
3- The reject water of RO system shall be treated as per proposal submitted for construction of ETP

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance ot any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 20/12/2019 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

GHANS HYAM Digitally signed by GHANSHYAM

R.O. Azamgah

Dated:- 20/12/2017

Copy To -

1-Ceo-6, UPPCB, Lucknow.

2-GM-DIC, Azamgarh.

Annexure-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 445921 सी–6/ O.A. No 806/2019/आख्या./2020 दिनांक 6-1-

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स मलिक वेबरेजेज,
मलिकाटोला, सगढ़ी,
आजमगढ़।

यह कि मेसर्स मलिक वेबरेजेज, मलिकटोला, आजमगढ़ जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा उद्योग में कच्चे माल के रूप में भू–जल का प्रयोग करके आर0ओ0 प्लाण्ट के द्वारा पेयजल के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मेसर्स मलिक वेबरेजेज, मलिकटोला, आजमगढ़ का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 01.01.2020 उद्योग एक रिवर्स आसमोसिस प्लाण्ट है, जिसकी क्षमता 20 हजार ली0/दिन की है। उद्योग को बोर्ड से दिनांक 20.12.2017 को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उद्योग से लगभग 04 किली0/दिन रिजेक्ट वाटर निस्तारित होता है, जिसके शुद्धीकरण हेतु उद्योग में कोई व्यवस्था नही है।

यह कि उद्योग द्वारा भू–गर्भ जल दोहन हेतु केन्द्रीय भू–गर्भ जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नही किया गया है।

यह कि उद्योग में उत्पादन कार्य मई 2019 से प्रारम्भ किया गया है। उद्योग बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालित है।

यह कि उद्योग की स्थापना बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये की गई है परन्तु उद्योग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र में निहित शर्तों का अनुपालन नही किया जा रहा है।

अतएव जनहित एवं जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि उद्योग के संचालन को रोका जायें

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न उद्योग मेसर्स मलिक वेबरेजेज, मलिकटोला, आजमगढ़ के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वह आपके औद्योगिक संयत्र मेसर्स मलिक वेबरेजेज, मलिकटोला, आजमगढ़ को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति को विच्छेदित करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के विलम्बतम् 15 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक न होने पर उक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

6/1

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 जिलाधिकारी, आजमगढ़।
2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
3 अधिषाषी अभियन्ता,उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आजमगढ़।
4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उद्योग का विलम्बतम 15 दिन में निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6/01

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

-6-

76

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764